



जन आधार



जन आधार

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)64/रा.ज.आ.यो./आय सृजन/2024/945

दिनांक : 07-05-2026

परिपत्र-10

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा संचालित जन आधार योजनान्तर्गत निवासियों द्वारा जन आधार की सूचनाओं में किये जा रहे अद्यतनों एवं संशोधनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने एवं निवासी के द्वारा स्वयं की SSO ID से किए जा रहे अद्यतनों पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार अधिकतम सीमा एवं शुल्क निर्धारित किया जाता है -

संशोधन/अद्यतन की श्रेणी	संशोधन/अद्यतन की निर्धारित सीमा	निर्धारित शुल्क
<b>1. व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-</b>		
पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी के नाम में संशोधन/अद्यतन	अधिकतम 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 15 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
शिक्षा में अद्यतन, आय विवरण में संशोधन/अद्यतन	एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
बैंक विवरण में संशोधन/अद्यतन	एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 40 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
संपर्क विवरण, आधार अधिप्रमाणन, व्यवसाय, निवासी स्थिति और पते में संशोधन/अद्यतन,	कोई सीमा नहीं	
<b>2. पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-</b>		
परिवार विभाजन, परिवार/सदस्य का स्थानांतरण, मुखिया परिवर्तन	अधिकतम 5 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
<b>3. अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-</b>		
गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि की सूचनाओं को जन आधार में संशोधन/अद्यतन	अधिकतम 5 बार अनुमत	25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
<b>4. पूर्णतः नि:शुल्क संशोधन/अद्यतन-</b>		
नवीन नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना, मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाना	केवल 1 बार अनुमत	पूर्णतः नि:शुल्क
ई-जन आधार डाउनलोड	कोई सीमा नहीं	

यह परिपत्र दिनांक 01 जून, 2026 से प्रभावी होगा।

(वी. श्रीनिवास)

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Vonganti  
Srinivas  
Designation: Chief Secretary  
Date: 2026.05.07 12:24:00 IST  
Reason: ApprovedRajKaj Ref No.:  
21835172  
M e-Sign